

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1372/2011

संस्थापन दिनांक 09.12.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—रामबाबू पुत्र जगन्नाथ राठौन उम्र 50 साल
- 2—रामबेटी उर्फ अमायन वाली पत्नी रामबाबू उम्र 45 साल
- 3—धर्मेन्द्र पुत्र रामबाबू राठौर उम्र 28 साल
- 4—मुरारी पुत्र रामबाबू राठौर उम्र 18 साल निवासीगण
वार्ड नं0 14 मौ, थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 323/34, एवं 324/34, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.08.11 को शाम 07:30 बजे या उसके लगभग आरोपी रामबाबू के मकान के सामने लोकमार्ग थाना मौ जिला भिण्ड पर सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनेश की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा धारदार हथियार से नरेश अ0सा01 व मीना अ0सा02 एवं दशरथ अ0सा04 की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा दिनेश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.08.11 को प्रातः 07:00 बजे फरियादी नरेश अ0सा01 का पानी भरने की बात पर आरोपीगण से विवाद हो गया था। उक्त दिन वह शौच के लिए जा रहा था तब इसी घटना पर

आरोपी रामबाबू ने अपने घर के दरवाजे के सामने नरेश अ0सा01 के निकलते समय धर्मेन्द्र, मुरारी, और रामबेटी उर्फ अमायन वाली के साथ मिलकर नरेश अ0सा01 को अश्लील गालियां दी फरियादी द्वारा मना करने पर रामबाबू ने नरेश अ0सा01 के कुल्हाड़ी मारी जो बांये हाथ के कोहनी पर लगी मुरारी ने लाठी मारी जो दाहिने हाथ में लगी उसका भाई दशरथ अ0सा04 बचाने आया तो रामबाबू ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी एक लाठी धर्मेन्द्र ने मारी जो बांये तरफ बखा में लगी, मीना अ0सा02 बचाने आई तो धर्मेन्द्र ने उसे लाठी मारी जो सिर में लगी। छोटे अ0सा03 बचाने आया तो धर्मेन्द्र ने उसे लाठी मारी जो सिर में लगी, दिनेश बचाने आया तो मुरारी ने उसे सिर में लाठी मारी, रामबेटी ने नरेश अ0सा01 को डण्डे मारे। मौके पर जयवीर व रामवीर अ0सा07 आ गये तब आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। तत्पश्चात नरेश अ0सा01 ने थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना मौ में अप0क्र0 163/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 17.08.11 को शाम 07:30 बजे या उसके लगभग आरोपी रामबाबू के मकान के सामने लोकमार्ग थाना मौ जिला भिण्ड पर आरोपीगण ने सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनेश की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार से नरेश अ0सा01 व मीना अ0सा02 व दशरथ अ0सा04 की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने दिनेश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 पर सकारण निष्कर्ष //

5. नरेश अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 17.08.11 को प्रातः 07:30 बजे के लगभग पानी भरने के उपर विवाद हो गया था उसके बाद वह शौच के लिए जा रहा था तब आरोपीगण के घर से निकलते समय आरोपीगण धर्मेन्द्र, मुरारी, रामबाबू और रामबेटी मिले, रामबाबू ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो बांये हाथ में लगी, उसका भाई दशरथ अ0सा04 बचाने आया तो रामबाबू ने उसे सिर में कुल्हाड़ी मारी, मीना अ0सा02 बचाने आई तो धर्मेन्द्र ने उसे सिर में लाठी मारी फिर रामबेटी ने 6 डण्डे सभी लोगों के मारे मौके पर जयवीर, रामवीर अ0सा07 आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया। उसने थाना मौ पर रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आई और नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6. मीना अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में नरेश अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि नरेश अ0सा01 को रामबाबू ने कुल्हाड़ी मारी जो बांये हाथ पर लगी और धर्मेन्द्र ने उसे सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। दशरथ अ0सा04 के रामबाबू ने कुल्हाड़ी मारी थी जो सिर में लगी थी। फिर वह बेहोश हो गयी था। छोटू अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में नरेश अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि रामबाबू ने कुल्हाड़ी उसके पिता नरेश अ0सा01 के दाहिने हाथ में मारी लेकिन साक्ष्य के दौरान उसने पूछे जाने पर बांया हाथ बताया है, दशरथ अ0सा04 को मुरारी और धर्मेन्द्र ने मारा था। उसके चाचा दिनेश को मुरारी व धर्मेन्द्र ने कुल्हाड़ी मारी थी उसकी मां मीना अ0सा02 को रामबाबू ने सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दशरथ अ0सा04 के सिर में रामबाबू ने कुल्हाड़ी मारी थी और इस सुझाव से इंकार किया है कि धर्मेन्द्र ने मीना अ0सा02 को लाठी मारी थी और स्वतः कथन किया है कि कुल्हाड़ी मारी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। दशरथ अ0सा04 ने मुख्यपरीक्षण में नरेश अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि रामबाबू ने नरेश अ0सा01 के दांये हाथ में कुल्हाड़ी मारी मीना अ0सा02 खून में लथपथ पड़ी थी जब वह स्वयं पहुंचा तब रामबेटी, धर्मेन्द्र और मुरारी ने उसे पकड़कर लाठी और कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसके सिर में चोट आई। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि रामबाबू ने सिर में कुल्हाड़ी मारी थी और दिनेश को भी मारा था। मुकेश अ0सा05 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2011 में शाम 7 बजे जब वह घर पर खाना खा रहा था तब उसे गाली गलौच की आवाज आई जब वह बाहर आया तब उसने देखा दशरथ अ0सा04 के सिर में चोट थी उसके सिर में कुल्हाड़ी से चोट आई थी नरेश अ0सा01 के हाथ में चोट थी नरेश अ0सा01 को धर्मेन्द्र ने कुल्हाड़ी मारी थी। रामबेटी और मुरारी ने दिनेश को मारा था।
7. साक्षी रामवीर अ0सा07 ने न्यायालयीन साक्ष्य में घटना से अनभिज्ञता व्यक्त की है और इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 17.08.11 को आरोपीगण ने नरेश अ0सा01, मुन्ना अ0सा02, दशरथ अ0सा04 व दिनेश की मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-9 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
8. साक्षी डॉ0 आर0विमलेश अ0सा06 ने कथन किया है कि दिनांक 17.08.11 को डॉ0 हरीश हासवानी सी.एच.सी. मी में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उनके साथ वह भी पदस्थ थे। वर्तमान में डॉ0 हासवानी लापता हैं तथा मैं डॉ0 आर0 विमलेश डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि को पहचानता हूं क्योंकि मैंने उनके साथ कार्य किया है। उक्त दिनांक को कांस्टेबल तेजसिंह द्वारा लाये जाने पर आहता मीना अ0सा02 पत्नी नरेश राठौर अ0सा01 निवासी मौ का मेडीकल परीक्षण डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया था। चोट नं01कटा हुआ घाव साथ में रक्तस्त्राव 2गुणा1/2 आकार में दाहिनी ओर सिर में था। यह चोट धारदार हथियार द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। जो परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की अवधि की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के

हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा आहत दशरथ अ0सा04 पुत्र मोहरमन निवासी मौ का मेडीकल परीक्षण डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया। चोट नं01 कटा हुआ घाव 1/3 गुणा 1 गुणा हड्डी तक गहरा था। जो दाहिनी ओर सिर में था। चोट नं02 कटा हुआ घाव जो 1/3 गुणा हड्डी तक गहरा था। जो बांयी ओर सिर में था। उक्त दोनों चोटें धारदार हथियार द्वारा आई हुई प्रतीत होती है जो परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की होकर साधारण प्रकृति हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर आहत नरेश अ0सा01 पुत्र मोहरमन उम्र 18 वर्ष निवासी मौ का मेडीकल परीक्षण डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया। चोट नं01 कटा हुआ घाव 1 गुणा 1 से 1/3 गुणा हड्डी तक गहरा था जो बांयी भुजा पर था। चोट नं02 दाहिने हाथ में कड़ापन, सूजन थी। अभिमत चोट नं01 धारदार हथियार द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। जो परीक्षण के 24 घण्टे की अवधि की थी। उक्त चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। चोट नं02 सख्त एवं मौंथरी वस्तु से आई हुई प्रतीत होती थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर आहत दिनेश पुत्र मोहरमन निवासी मौ का चिकित्सीय परीक्षण डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया। चोट नं01 आहत के सिर में कठोरपन था अन्य कोई चोट दृश्यमान नहीं थी। जो परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी तथा साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं।

9. नरेश अ0सा01 ने मुख्य परीक्षण में रामबाबू द्वारा बांये हाथ पर कुल्हाड़ी मारना बताया है। नरेश अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में कुल्हाड़ी का स्वरूप बताने में असमर्थता व्यक्त की है। परन्तु उसे ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि उसे धार की तरफ से कुल्हाड़ी नहीं मारी गयी और पैरा 9 में उसने स्पष्ट कथन किया है कि उसकी चोट कटी हुई थी अतः कुल्हाड़ी के स्वरूप का अज्ञान तात्विक नहीं है। नरेश अ0सा01 ने कथन किया है कि उसके शरीर पर दो चोटें थी जो उसके परिवार के सदस्यों ने देखी थीं। परन्तु वह यह नहीं देख पाये थे कि चोट किसने पहुंचाई। अतः नरेश अ0सा01 के कथनानुसार उसे उपहति कारित करते हुए अन्य किसी ने नहीं देखा।
10. मीना अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बताया है कि नरेश अ0सा01 के बांये हाथ के पोंहचे में रामबाबू ने कुल्हाड़ी मारी थी और पैरा 4 में बताया है कि नरेश अ0सा01 के केवल एक ही चोट थी। नरेश अ0सा01 को कुल्हाड़ी धार की तरफ से लगी थी। मीना अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में कथन किया है कि उसे नहीं पता कि उसके पति को कितनी कुल्हाड़ी किस-किसने मारी और उसके पहुंचने के बाद उसके पति की पिटाई नहीं हुई जब वह पहुंची तब नरेश अ0सा01 जमीन पर पड़ा था। छोटू अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कथन किया है कि उसके पिता के बांये हाथ की कलाई व कोहनी के बीच धार की तरफ से चोट आई थी और पैरा 7 में स्वीकार किया है कि उसके पिता आरोपीगण में कुल्हाड़ी देना चाह रहे थे तो बचाव में उनके लग गयी। लेकिन इस आशय का सुझाव नरेश अ0सा01 को नहीं दिया गया है।
11. दशरथ अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि उसके

सामने आरोपीगण ने नरेश अ0सा01 और मीना अ0सा02 की मारपीट नहीं की और जब वह पहुंचा तब कुल्हाड़ी लग चुकी थी और उसने कथन प्र0डी-1 में नरेश अ0सा01 के कुल्हाड़ी लगने वाली बात नहीं बतायी। मुकेश अ0सा05 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में धर्मेन्द्र द्वारा नरेश अ0सा01 के हाथ में कुल्हाड़ी मारा जाना बताया है। जबकि कथन प्र0डी-3 में रामबाबू द्वारा कुल्हाड़ी मारना उल्लिखित है जिसे लिखाये जाने से उसने इंकार किया है। अतः मुकेश अ0सा05 ने रामबाबू द्वारा नरेश अ0सा01 को उपहति पहुंचाये जाने के तथ्य से इंकार किया है।

12. मीना अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में धर्मेन्द्र द्वारा सिर में कुल्हाड़ी मारा जाना बताया है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में भी कथन प्र0डी-1 में उक्त बात लिखाया जाना बताया है लेकिन कथन प्र.डी.1 में उक्त तथ्य का लोप है जिसका वह कारण बताने में असमर्थ रही है और मात्र धर्मेन्द्र द्वारा लाठी मारा जाना ही उल्लिखित है। नरेश अ0सा01 ने भी मुख्यपरीक्षण में मीना अ0सा02 को धर्मेन्द्र द्वारा लाठी मारा जाना ही बताया है। दशरथ अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि उसने मीना अ0सा02 की मारपीट होने के संबंध में कथन प्र0डी-2 में नहीं बताया। मुकेश अ0सा05 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि मीना अ0सा02 को धर्मेन्द्र ने सिर में कुल्हाड़ी मारी थी जिससे हाथ में चोट आई थी। अतः मुकेश अ0सा05 ने मीना अ0सा02 के कथन का समर्थन नहीं किया है।
13. नरेश अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनेश को मुरारी ने सिर में लाठी मारी थी। मीना अ0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण में बताया है कि मुरारी ने दिनेश को लाठी मारी थी जो सिर में लगी थी। लेकिन छोटू अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनेश को मुरारी और धर्मेन्द्र ने कुल्हाड़ी मारी थी। दशरथ अ0सा04 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनेश को भी मारा था। अभियोजन दिनेश को साक्ष्य में परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। मीना अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि रामबेटी ने दिनेश के सिर में डण्डा मारा था जिसका भी लोप कथन प्र0डी-1 में है जिससे पैरा 3 में उसने इंकार किया है और कथन किया है कि वह नहीं देख पाई कि दिनेश के सिर पर कितनी लाठी मारी थी, रामबाबू ने भी दिनेश के सिर में लाठी मारी थी लेकिन उक्त तथ्य का भी कथन प्र0डी-1 में लोप है जिसका भी वह कारण बताने में असमर्थ रही है।
14. दशरथ अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि धर्मेन्द्र ने उसे कुल्हाड़ी मारी उसे मुरारी ने भी कुल्हाड़ी मारी जो सिर में दांयी तरफ लगी। उसे धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारने से दो चोटें आई थीं। नरेश अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में कथन किया है कि दशरथ अ0सा04 के दाहिने हाथ में चोट आई थी। मीना अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया है कि दशरथ अ0सा04 के माथे व सिर में चोट आई थी जो रामबाबू ने पहुंचाई थी और रामबाबू ने ही सिर व माथे में धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारी थी। छोटू अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि दशरथ अ0सा04 को रामबाबू ने कुल्हाड़ी से मारा था जो धार की तरफ से लगी थी जो बांये बखा में मारी थी और सिर में लगी थी।
15. रंजिश के संबंध में नरेश अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में कथन किया है कि उसकी रामबाबू से कोई रंजिश नहीं है बस पानी के पीछे का विवाद है। मीना अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में कथन किया है कि आरोपीगण अच्छा खाते पीते हैं इस कारण वह रंजिश रखते हैं। छोटू अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण

के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि उसके माता पिता व चाचा दशरथ अ0सा04 ने भी आरोपी रामबाबू व उसकी पत्नी की मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट रामबाबू ने की है जिससे बचने के लिए उन्होंने यह झूठी रिपोर्ट की है लेकिन इस आशय का कोई सुझाव नरेश अ0सा01 को नहीं दिया गया है। दशरथ अ0सा04 ने भी पैरा 4 में स्वीकार किया है कि रामबाबू ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट की होगी और फरियादी पक्ष द्वारा आरोपीगण की मारपीट करने पर फरियादी पक्ष को चोट आने के तथ्य से इंकार किया है।

16. मुकेश अ0सा05 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में दशरथ अ0सा04 व मीना अ0सा02 और दिनेश को उपहति कारित करने के संबंध में पुलिस को कोई भी तथ्य बताने से इंकार कर प्रथम बार न्यायालयीन साक्ष्य में वर्णित करना बताया है और इस संबंध में भी पैरा 3 में कथन किया है कि जब वह पहुंचा तब झगड़ा शांत हो चुका था। किसने बीच बचाव कराया उसे नहीं मालूम। उसके पहुंचने के बाद झगड़ा नहीं हुआ। अतः मुकेश अ0सा05 के कथन से वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना भी परिलक्षित नहीं होता है।
17. एफआईआर के संबंध में नरेश अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 व 10 में कथन किया है कि वह साढ़े सात बजे रिपोर्ट करने थाने पर पहुंच गया था और ऐसा नहीं है कि वह साढ़े सात बजे नहीं पहुंचा था। एफआईआर प्र0पी-1 रात्रि 8:05 बजे की है। अभिलिखित घटना शाम साढ़े सात बजे की है अतः मात्र आधे घण्टे का विरोधाभास है जोकि तात्त्विक नहीं है।
18. नरेश अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में कथन किया है कि उसने नहीं सुना कि किस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी।
19. अतः नरेश अ0सा01 ने स्पष्ट कथन किया है कि उसे रामबाबू ने हाथ में कुल्हाड़ी मारी थी जो प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है। मीना अ0सा02 व दशरथ अ0सा04 द्वारा इस आशय के कथन दिए गए हैं कि उनके सामने नरेश अ0सा01 की मारपीट नहीं हुई। जो नरेश अ0सा01 के इस कथन से स्पष्ट होता है कि जब उसकी मारपीट हो रही थी तब अन्य लोग नहीं देख पाये थे कि उसे किसने चोट पहुंचाई थी परन्तु उन्होंने चोट देखी थी अतः मीना अ0सा02 व दशरथ अ0सा04 के उक्त कथन से नरेश अ0सा01 के कथन की संपुष्टि होती है और डॉ0 आर0विमलेश अ0सा06 ने भी नरेश अ0सा01 के बांयी भुजा में कटे हुए घाव का उल्लेख किया है। अतः नरेश अ0सा01 के कथन का वस्तुतः न्यायालयीन साक्ष्य में चिकित्सक व मीना अ0सा02 व दशरथ अ0सा04 द्वारा समर्थन किया गया है।
20. मीना अ0सा02 ने धर्मेन्द्र द्वारा सिर में कुल्हाड़ी मारा जाना बताया है। चिकित्सक डॉ0 आर0विमलेश अ0सा06 ने भी मीना के सिर में चोट का उल्लेख किया है। लेकिन मीना अ0सा02 ने धर्मेन्द्र द्वारा कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाया जाना बताया है जबकि कथन प्र0डी-1 और साक्षी नरेश अ0सा01 ने लाठी से उक्त चोट पहुंचाया जाना बताया है। अतः इस संबंध में मीना अ0सा02 ने कथन प्र0डी-1 के विरोधाभासी कथन दिए हैं जिसका समर्थन नरेश अ0सा01 व दशरथ अ0सा04 ने भी नहीं किया है और मुकेश अ0सा05 की घटनास्थल पर उपस्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अतः कुल्हाड़ी से मीना अ0सा02 को चोट पहुंचाये जाने के संबंध में मीना अ0सा02 ने विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है।
21. नरेश अ0सा01, मीना अ0सा02, दशरथ अ0सा04 ने दिनेश को भी उपहति आना बताया है लेकिन नरेश अ0सा01 ने दिनेश को मुरारी द्वारा चोट

पहुंचाया जाना बताया है जबकि मीना अ0सा02 ने रामबेटी द्वारा चोट पहुंचाया जाना बताया है और दशरथ अ0सा04 उसका पिता होते हुए भी यह स्पष्ट कथन नहीं कर सका है कि किसने दिनेश को चोटें पहुंचाई। स्वयं दिनेश भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दिनेश को उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्षी नरेश अ0सा01 और मीना अ0सा02 ने ही एकरूप कथन नहीं किए हैं और दशरथ अ0सा04 ने भी स्पष्ट कथन नहीं बताये हैं अतः दिनेश को कारित उपहति के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। चिकित्सक द्वारा भी दिनेश के कोई सदृश्य चोट उल्लिखित नहीं की गयी है। अतः आरोपीगण द्वारा दिनेश को उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में भी अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है।

22. दशरथ अ0सा04 ने स्वयं को धर्मेन्द्र व मुरारी द्वारा सिर में धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारना बताया है जिसका समर्थन चिकित्सक डॉ0 आर0विमलेश अ0सा06 के कथन से भी हुआ है। नरेश अ0सा01 और मीना अ0सा02 ने भी दशरथ अ0सा04 को आई चोट का समर्थन किया है जो प्रतिपरीक्षण में भी चुनौतीविहीन रहे हैं। अतः दशरथ अ0सा04 को काटने के उपकरण से आरोपीगण द्वारा चोट पहुंचाये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।
23. बचाव पक्ष आरोपीगण से कोई पूर्व की रंजिश स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है। छोटू अ0सा03 द्वारा प्रतिरक्षास्वरूप नरेश अ0सा01 द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कराया जाना बताया है लेकिन आरोपीगण ने नरेश अ0सा01 की रिपोर्ट के यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से उचित रूप से स्पष्ट हो सकता था लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है और ना ही नरेश अ0सा01 व मीना अ0सा02 को इस संबंध में कोई सुझाव दिए गए हैं। दशरथ अ0सा04 ने भी मात्र रिपोर्ट की संभावना व्यक्त की है। छोटू अ0सा03 द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः मुख्यपरीक्षण के विपरीत कथन करता है जिससे उसके कथन विश्वसनीय और निर्भर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।
24. नरेश अ0सा01 ने किसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी यह स्पष्ट नहीं किया है। दिनेश को जान से मारने की धमकी दी गयी यह अन्य किसी साक्षी ने भी वर्णित नहीं किया है। अतः दिनेश को अभित्रास कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन ने कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।
25. अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना से नरेश अ0सा01 व दशरथ अ0सा04 को आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाये जाने के तथ्य को अभियोजन विश्वसनीय रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। परन्तु दिनेश को आरोपीगण द्वारा उपहति पहुंचाये जाने और मीना अ0सा02 को काटने के हथियार से उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहता है कि आरोपीगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में नरेश अ0सा01 व दशरथ अ0सा04 को कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की। परन्तु युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मीना अ0सा02 को

कुल्हाड़ी से और दिनेश को स्वेच्छया उपहति कारित की अथवा दिनेश को आपराधिक अभित्रास कारित किया।

26. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 दो बार भा.द.स. आहत नरेश अ0सा01 व दशरथ अ0सा04 के संबंध में के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। आरोपीगण को धारा 324/34 भादस मीना अ0सा02 के संबंध में के आरोप में और धारा 323/34 व 506 भादस के दिनेश के संबंध में के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
27. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।
28. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी रामबेटी महिला है और पानी भरने की बात पर विवाद उत्पन्न हुआ है आरोपीगण की पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। आहत नरेश अ0सा01 और दशरथ द्वारा शेष शमनीय आरोप में राजीनामा भी कर लिया गया है। अतः आरोपीगण को कारावास का दण्डादेश दिया जाना उचित व आवश्यक प्रतीत न होने से आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आरोपीगण द्वारा धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन दस हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बंध पत्र इस शर्त के अधीन प्रस्तुत किया जाये कि वह निर्णय दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक परिशांति बनाये रखेंगे और सदाचारी रहेंगे और पुनः समान प्रकृति के अपराध में सम्मिलित नहीं होंगे और उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय के समक्ष दण्डादेश भुगतने के उपस्थित रहेंगे तो आरोपीगण को परिवीक्षा पर रद्द किया जाये।
29. निर्णय की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।
30. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0